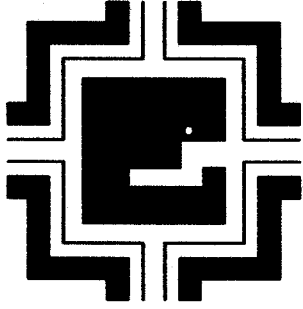


J . D . A .



NORTH:-



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग एवं
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
आवासीय - 60
वाणिज्यिक - 02
व्यवसायिक भूटकर - 01
1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
3. खाली भूखण्ड -
कुल भूखण्ड - 63
नोट :- सेक्टर रोड एवं योजना की रोड पर स्थित कोर्नर
भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया गया है।

AREA ANALYSIS:-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.Mt.)	प्रतिशत (%)
1.	आवासीय	8604.81	58.94%
2.	वाणिज्यिक	617.80	04.23%
3.	व्यवसायिक (INFORMAL WITH P.U.)	255.30	01.75%
4.	पार्क, एवं खुला क्षेत्र	733.10	05.02%
5.	MOBILE TOWER	21.00	00.14%
6.	S.W.M. (SOLID WASTE MANAGEMENT)	50.13	00.34%
7.	योजना सड़क क्षेत्र	4317.99	29.58%
कुल योजना क्षेत्र		14600.00	100.00%

कुल छातेदार का क्षेत्र = 14600.00 SQ.Mt. (1.4600 HACT.)

योजना की भूमि की राश्री. अधिनियम की धारा 90-ए की
कार्यवाही एवं नोटे पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया।
योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम
उपायुक्त जौन-

बी.पी.सी./जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

DEVELOPER:-

ARCHITECTURAL CONSULTANT:-

CADD SQUARE Consultancy
319 - 2nd Floor, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur (Raj.)
Tel : +91 141 4015808, Mob.: 98290-47373, 97845-90593
Email: caddsquare.jaipur@gmail.com, Web : www.caddsquare.com

NAME OF SCHEME:-

"VRINDAVAN GREENS"

LAYOUT PLAN IN KHASRA NO.- 51, 52, 515/53, 58/371
AT VILLAGE - RAMCHANDRAPURA, TEHSIL - SANGANER, JAIPUR (RAJ.)

NAME OF SOCIETY :-		"NIJI KHATEDAR"	
ZONE NO.- 12		SECTOR. NO. -	
SCALE:-1CM=5.0MT.		DRG. NO. CSC/24/138	
A.T.P. ZONE (ZONE-12)	D.T.P. (ZONE-12)	S.T.P. (ZONE-12)	
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR			

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"VRINDAVAN GREENS"

IN KHASRA NO.- 51, 52, 515/53, 58/371

AT VILLAGE- RAMCHANDRAPURA, TEH.-SANGANER, JAIPUR (RAJ.)

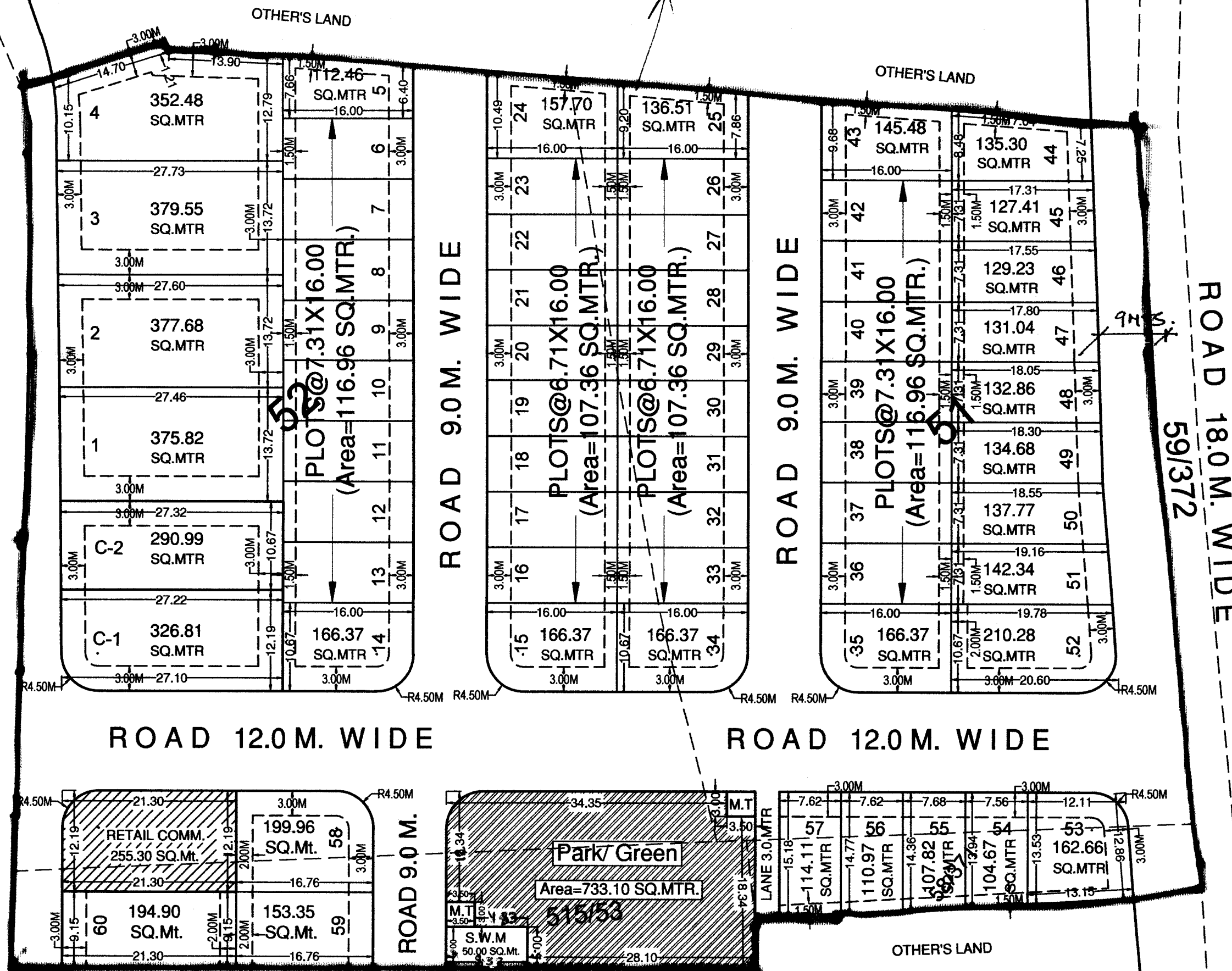
SCALE :- 1 : 500 OR (1CM = 5.0 Mt.)

NORTH



1456
B
15.10.26.

EXISTING ROAD 18.0M. WIDE



EXISTING ROAD 18.0M. WIDE

516/53 APPLICANT LAND
योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जौन के अभीन द्वारा किया गया है

- नोट
1. कोर्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 29.07.2024 को हो चुकी है।
 3. योजना की भूमि में राश्री. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नोटे पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 4. टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4, 56, 57, सी-1, सी-2, कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 1195.36 वर्गमीटर है, जो जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 366 वीं बैठक दिनांक 10.09.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 6. योजना-का-भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-2 एच.आई.जेड दर्शित है।
 7. इनफार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार किया जावेगा।
 8. योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 9. बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

56/343

सहायक जौनर नियोजक जौन-12

तहसीलदार जौन-12

57/343

उपायुक्त जौन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

TO JAIPUR

JAIPUR-AJMER NATIONAL HIGHWAY-8

ROAD 90.0 Mtr. WIDE

TO AJMER

